

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 285/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा कार्यालय-यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती कविता कंवर
 - 1.पता-निवासी-प्लॉट नम्बर ए-193, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, निवारु रोड, जयपुर
 - 2.मुमल परिधान, जोधपुर मिष्ठान भण्डार के पास, खातीपुरा रोड, जयपुर (राजस्थान)
 - 3.प्लॉट नम्बर 193-ए, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, ग्वालिया बाबा का बाजार, निवारु रोड, जयपुर
2. नरेन्द्र,
 - 1.पता-निवासी-प्लॉट नम्बर ए-193, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, निवारु रोड, जयपुर एवं
 - 2.पता-निवासी-प्लॉट नम्बर 193-ए, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, ग्वालिया बाबा का बाजार, निवारु रोड, जयपुर (राजस्थान) ।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

उपस्थित:-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती कविता कंवर पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 193-ए, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, ग्वालिया बाबा का बाजार, निवारु रोड, जयपुर (राजस्थान) क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 15,50,416/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02/05/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्त्रावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 23 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।


5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,50,416/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 16,11,659/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02/05/2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती कविता कंवर पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 193-ए, सालासर सिटी, ई ब्लॉक, लालचन्दपुरा, ग्वालिया बाबा का बाजार, निवारु रोड,

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जयपुर (राजस्थान), क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जादे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हख कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


 4/1/21
 (अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर

